उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या – 44/2013

अरबिन्द कुमार बनाम् रंजीत पलविन्दर सिंह वगै0

ी क्रम या ारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
-2019	आदेश अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी लगातार अनुपस्थित। फलतः एक पक्षीय सुनवाई करते हुए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा प्रश्नगत् भूमि से संबंधित दस्तावेज एवं भूमि हस्तान्तरण से संबंधित अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश तथा राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन का विधिवत् जाँच/अवलोकन नहीं किया गया है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–13/2012–13 रंजीत पलविन्दर सिंह वगै0 बनाम् अरबिन्द कुमार वगै0 में दिनांक 29.08.2013 को पारित आदेश को **निरस्त** करते हुए, पुनः नये सिरे से विधिवत् सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु **रिमाण्ड** किया जाता है। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित 02/1/19 **उपायुक्त,** रामगढ़। 02/1/19 **उपायुक्त,** रामगढ़।	38/विधि 07/01/19